कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2020 दिनांकः 04.01.2021 के तहत श्री भागीरथ प्रसाद व्याख्याता, रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, बुचावास, चुरू से राउमावि, मलसीसर, चुरू किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व श्री भागीरथ प्रसाद द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 1013/2021 भागीरथ प्रसाद बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 1013/2021 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 19.01.2021 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एवं राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं।

माननीय राजस्थान राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय के क्रम में श्री भागीरथ प्रसाद द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की पत्नी के व्याख्याता के पद पर हनुमानगढ़ में कार्यरत होने, दो बच्चों की जिम्मेदारी होने तथा स्थानान्तरित विद्यालय वर्तमान निवास स्थान से 350 कि.मी दूर होने के आधार पर राउमावि सात्यू, चुरु/राबाउमावि, सिद्धमुख, चूरू/राउमावि, अजीतपुरा, हनुमानगढ़ की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में चाहे गए विद्यालयों में व्याख्याता रसायन विज्ञान के पदों पर अन्य कार्मिकों के कार्यरत होने तथा पदस्थापित आदेश प्रसारित होने के कारण पद रिक्त नहीं है। चूंकि याचिकार्थी का स्थानन्तरण पूर्व कार्यरत जिले चूरू में ही की किया गया है किसी अन्य जिले में नहीं तथा याचिकार्थी भागीरथ प्रसाद ने दिनांक 21.01.2021 को स्थानान्तरित स्थान राउमावि, मलसीसर, चुरू में कार्यग्रहण कर लिया है। अतः अन्यंत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/भागीरथ प्रसाद/1013/को.के/21 दिनांकः–04/02/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर